दिनाँकः02-12-2024

आदेश

वर्तमान में अधिवक्तागण के द्वारा निरंतर हड़ताल पर रहने के कारण एवं कतिपय अन्य परिस्थितियों के कारण जो अधिवक्ता कार्य करने के इच्छुक हैं, एवं वादकारियों में भय का माहौल व्याप्त है। उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्षों में सी०सी०टी०वी०कैमरे लगे हैं एवं पर्याप्त पुलिस फोर्स मय वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे सहित नियुक्त किए गए हैं। समस्त न्यायिक अधिकारीगण को आदेशित किया जाता है कि वे न्यायालय कक्ष में डायस पर बैठने के समय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में कार्य करने आए अधिवक्ता एवं उपस्थित हुए वादकारियों के साथ यदि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो अविलंब इसकी सूचना जनपद न्यायाधीश को प्राप्त कराएंगे। उक्त सूचना में घटना घटित होने के समय का भी उल्लेख करेंगे ताकि ऐसे तत्वों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

Niraj Gautam
2.12.2024

(नीरज गौतम)
प्रभारी अधिकारी, नजारत
जनपद न्यायालय
गाजियाबाद।